(3)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—85/2022 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर—302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

——प्रार्थी

बनाम

1. खान कबाड़ स्टोर जरिये प्रो. जबार खान जाति मुसलमान
पता—कलालों की ढाणी, चक 14 बारानी, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——मूल ऋणी

2. जबार खान पुत्र श्री हुसैन खान जाति मुसलमान
पता—कलालों की ढाणी, चक 14 बारानी, 27 एनटीआर, भुकरका 39 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ और शमीना खान जाति मुसलमान पता—ग्राम पंचायत 14 बारानी पट्टा नं. 22 27 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——(सहऋणी, बंधकग्रहिता)

3. शमीना खातून पत्नी जबार खान जाति मुसलमान
पता—वार्ड नं. 05 कलालों की ढाणी, चक 14 बारानी, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——(सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः—02.08.2023**

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रदीप सोनी शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.09.2019 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' के तहत 3,00,000/—रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में ग्राम पंचायत 22 एनटीआर पंचायत समिति नोहर द्वारा एक आवासीय भूमि का पट्टा सं. 22 पैमाईशी 30 गुणा 60 यानि 1800 वर्गफुट चक 14 बारानी ग्राम पंचायत 22 एनटीआर में स्थित है, जो कि जबार खान पुत्र हुसैन खान जाति मुसलमान पठान निवासी चक 14 बारानी 27 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के नाम से दिनांक 27.06.2017 को जारीशुदा है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 11.05.2022 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 2,46,732/—रूपये (अखरे दो लाख छियालीस हजार सात सौ बत्तीस रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक

Web Copy Not Official

16.05.2022 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 17.05.2022 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 23.05.2022 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना का समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 30.06.2022 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत 22 एनटीआर पंचायत समिति नोहर द्वारा एक आवासीय भूमि का पट्टा सं. 22 पैमाईशी 30 गुणा 60 यानि 1800 वर्गफुट चक 14 बारानी ग्राम पंचायत 22 एनटीआर में स्थित है, जो कि जबार खान पुत्र हुसैन खान जाति मुसलमान पठान निवासी चक 14 बारानी 27 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के नाम से दिनांक 27.06.2017 को जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़